हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

बारहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्या : 114

बुधवार, 26 अगस्त, 2026/04 भाद्रपद, 1948(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

11:00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

1. प्रश्नोत्तर:

(1) तारांकित प्रश्न :

तारांकित प्रश्न संख्या: 3698 (स्थगित) तथा तारांकित प्रश्न संख्या: 4456, 4457 व 4459 के उत्तरों पर माननीय सदस्यों द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा माननीय मुख्य मंत्री व संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए।

तारांकित प्रश्न संख्या: 3924(स्थगित) के संदर्भ में दिए गए उत्तर पर संतोष व्यक्त करते हुए माननीय सदस्य ने कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा।

तारांकित प्रश्न संख्या: 4458 पर माननीय सदस्य की अनुपस्थिति के कारण अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गया।

तारांकित प्रश्न संख्या: 4460 से 4499 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(2) अतारांकित प्रश्न :

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1664 (स्थगित) और अतारांकित प्रश्न संख्या : 1744 से 1764 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

व्यवस्था का प्रश्न

माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने प्रश्न काल समाप्त होने के तुरंत बाद कहा कि प्रश्न काल के दौरान पूछे जा रहे कुछेक अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर

अनावश्यक रूप से विस्तृत रूप में दिए जा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरों के रूप में भाषण दिया जा रहा है। जिस कारण कई माननीय सदस्य अपने प्रश्न प्रश्नकाल में नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिए विपक्ष चाहता है कि प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त व सटीक दिए जाएं।

Ruling by the Hon'ble Speaker

"That is my concern. Yesterday also, I ventilated that concern. आप (विपक्ष से) गुस्सा हो गए और बहुत सारे माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गए। मेरा भी यही कंसर्न है कि मैक्सिमम क्वैश्चन लगें और सप्लीमेंटरी भी स्पैसिफिक हो और उसका जवाब भी स्पैसिफिक आए। आदरणीय सुधीर शर्मा जी के अलावा कोई भी सप्लीमेंटरी स्पैसिफिक नहीं था। He was very specific in his supplementary."

माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने 21 अगस्त, 2026 को राष्ट्रगान से संबंधित घटनाक्रम का विषय पुन: माननीय सदन में उठाया और कहा कि अध्यक्ष महोदय द्वारा मुहैया करवाई गई राष्ट्रगान की क्लिप्स में ये कहीं नहीं दिखाई दे रहा है कि विपक्ष द्वारा राष्ट्रगान का अपमान किया गया है। जबकि माननीय मुख्य मंत्री ने सदन व सदन के बाहर तथा प्रदेश की जनता में झूठ बोला है कि विपक्ष ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। उन्होंने यह भी कहा कि वे अपने दल की ओर से इस विषय में माननीय मुख्य मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन् का मामला दर्ज करवाएंगे तथा साथ ही माननीय उच्च न्यायालय में भी मान हानि का मुकद्दमा दर्ज करेंगे।

माननीय राजस्व मंत्री ने सदन को बताया कि जब माननीय नेता प्रतिपक्ष उस दिन सदन में अनुपस्थित थे तो वे कैसे यह कह सकते हैं कि राष्ट्रगान का अपमान नहीं हुआ है। विडियो क्लिप्स में विपक्ष के सदस्य राष्ट्रीय गान के समय खड़े हुए तो दिख रहे हैं लेकिन उनके द्वारा किए गए इशारे नहीं दिख रहे हैं क्योंकि उस समय कैमरा उन पर फोकस नहीं होगा। जैसे अब भी मेरे वक्तव्य के दौरान कैमरा मुझ पर फोकस है और विपक्ष द्वारा किए जा रहे इशारे इसमें रिकार्ड नहीं हो रहे होंगे। उस दिन जब अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी कि राष्ट्रगान शुरू होना है श्री विपिन सिंह परमार जी पहले ही हाथ खड़े करके उसे रोकने बैठ गए। इस मान्य सदन का बहुत लंबे समय से प्रेसिडेंट रहा है कि जिस दिन सत्र शुरू होगा उस दिन राष्ट्रगान से कार्यवाही शुरू होगी। अब राष्ट्रगान शुरू होने से पहले ही ये कह रहे थे कि राष्ट्रगीत गाओ। इसलिए यह राष्ट्रगान का अपमान नहीं है तो और क्या है? उस दिन यही लोग राष्ट्रगान का अपमान कर रहे थे।

(सत्तापक्ष व विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाज़ी करने लगे।)

इस पर **माननीय मुख्य मंत्री** ने कहा कि विपक्ष के माननीय सदस्य पांच गुटों में बंटे हुए हैं और मुझे जवाब देने के लिए पांचों गुटों को समय देना पड़ता है इसलिए इसमें समय अधिक लगता है। दूसरा, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान हमारी पहचान है। ये देश की और हिन्दुस्तान के हर नागरिक की पहचान है। कोई गीत कानून द्वारा नहीं थोपा जा सकता। वह भावनाओं से पैदा होता है। जब भावनाओं ने गीत पैदा किए तब यह देश आज़ाद हुआ। इसलिए राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान पर सदन को मत बांटो। उन्होंने यह भी कहा कि 21 अगस्त, 2026 को विपक्ष द्वारा राष्ट्रीय गान पर सवाल पैदा करना ही राष्ट्रीय गान का अपमान है। जिसके लिए वे विपक्ष के खिलाफ विशेषाधिकार हनन् का मामला लाएंगे क्योंकि इन्होंने ही राष्ट्रीय गान का अपमान तथा राष्ट्रीय गीत व राष्ट्रीय गान को बांटने का काम किया है।

शून्य काल

माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह ने पीर सलूही और और कूना क्षेत्र में बरसात के कारण पूरे पहाड़ के दरकने की वजह से लोगों के घर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने का विषय मान्य सदन में उठाया। उन्होंने अवगत करवाया कि यह मुद्दा पिछले सत्र में भी उनके द्वारा उठाया गया था। उन्होंने बताया कि प्रभावितों को अभी तक केवल 1,70,000 रुपये ही मिल पाए हैं जबकि उनका नुकसान इससे कहीं अधिक है। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि प्रभावितों के किसी अन्य स्थान पर मकान बनाने की व्यवस्था की जाए।

माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि वे उपायुक्त महोदय से इस विषय पर पूरी रिपोर्ट मंगवाएंगे और प्रदेश की आपदा राहत नीति अनुसार इस पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।

माननीय सदस्य श्री जीत राम कटवाल ने अपने निर्वाचन क्षेत्र की आई0आर0डी0पी0 के 9वें चरण के सर्वे का जिक्र करते हुए बताया कि पात्र व्यक्ति नये सर्वे में सम्मिलित नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभाग नये

सर्वे के निर्देशों को जांचे तथा इनमें उचित संशोधन करके इन्हें तर्कसंगत बनाकर पात्र व्यक्तियों को आई0आर0डी0पी0 में सम्मिलित करे।

माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने बताया कि यह एक डिटेल्ड सर्वे हुआ है। इसमें पहले वाले सर्वे के लोगों को बाहर नहीं किया गया है। इसमें हेराफेरी रोकने के लिए अब केवल उप मण्डल अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी की देख-रेख में पात्र व्यक्तियों को सम्मिलित करने का प्रावधान है। इसमें 75000 रुपये से ऊपर की आय वाले व्यक्ति पात्र नहीं माने जाएंगे। अगर कोई अपात्र व्यक्ति इसमें सम्मिलित किया जाता है तो उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे भी सभी उप मंडल अधिकारियों (ना0) से तथा खण्ड विकास अधिकारियों से इस की समीक्षा करें कि कितने पात्र व्यक्ति हैं और 20 तारीख तक पात्र व्यक्तियों को इसमें शामिल करें।

2. कागज़ात सभा पटल पर:

(1) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री** ने संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत हिमऊर्जा (हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास अभिकरण) हिमाचल प्रदेश का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2025-26 की प्रति सभा पटल पर रखी।

(2) **श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री** ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (प्रथम संशोधन) नियम, 2026 जोकि अधिसूचना संख्या: ईडीयूसी-ए03/4/2023-ईडीयू-सी(152585), दिनांक द्वारा 11.06.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 15.06.2026 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन:

(1) **श्री अनिल शर्मा, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2026-27)** ने लोक लेखा समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर भी रखी:-

(1) समिति का **165वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) पर बने समिति के **96वें कार्रवाई प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत **"अग्रेत्तर कार्रवाई**

विवरण" पर आधारित तथा **बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग** से सम्बन्धित है;

(2) समिति का **83वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) पर बने समिति के **202वें कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत **"अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण"** पर आधारित तथा **मत्स्य पालन विभाग** से सम्बन्धित है; और

(3) समिति का **73वां मूल प्रतिवेदन** (नवम् विधान सभा) पर बने समिति के **260वें कार्रवाई प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत **"अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण"** पर आधारित तथा **वन विभाग** से सम्बन्धित है।

(2) श्री किशोरी लाल, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2026-27) ने लोक उपक्रम समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर भी रखी:-

(1) समिति का **36वाँ कार्रवाई प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के तृतीय मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) (वर्ष 2023-24) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश सड़क व अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित** से सम्बन्धित है; और

(2) समिति का **18वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2019-20) पर बने समिति के **53वें कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2021-22) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **"अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण"** तथा **हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित** से सम्बन्धित है।

(3) श्री आशीष बुटेल, सभापति, जन प्रशासन समिति, (वर्ष 2026-27) ने जन प्रशासन समिति का **19वां मूल प्रतिवेदन** जोकि **खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर भी रखी।

(4) श्री संजय अवस्थी, सभापति, मानव विकास समिति (वर्ष 2026-27) ने मानव विकास समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर भी रखी:-

(1) समिति का **36वाँ प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **तकनीकी शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और

(2) समिति का **37वाँ प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **उच्चतर शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है ।

(5) **श्री केवल सिंह पठानिया, सभापति, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2026-27) ने सामान्य विकास** समिति का **21वां मूल प्रतिवेदन** जोकि **बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर भी रखी।

(6) **श्री इन्द्र दत्त लखनपाल, सदस्य, ग्रामीण नियोजन समिति, (वर्ष 2026-27) ने ग्रामीण नियोजन समिति** का **24वां कार्रवाई प्रतिवेदन,** जोकि **उद्यान विभाग** के कार्यों/गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है, की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर भी रखी।

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

(1) **माननीय सदस्य श्री राम कुमार, अनुपस्थित**।

(2) **माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल** ने भूस्खलन के कारण तत्तापानी-सलापड़ मार्ग बन्द होने से उत्पन्न स्थिति बारे सदन का ध्यान आकर्षित किया।

माननीय लोक निर्माण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल ने स्पष्टीकरण मांगा।

माननीय लोक निर्माण मंत्री ने स्पष्टीकरण का उत्तर दिया।

माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल ने पुन: स्पष्टीकरण मांगा।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से **माननीय उप मुख्य मंत्री** ने स्पष्टीकरण का उत्तर दिया।

(सदन की बैठक 1.00 बजे अपराह्न भोजनावकाश के लिए 2.00 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।)

(भोजनावकाश के उपरांत 2.05 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में पुन: आरम्भ हुई।)

5. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव:

(1) दिनांक 24.08.2026 को माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार द्वारा प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी :-

"प्रदेश में चिकित्सा संस्थानों के निर्माणाधीन भवनों, आधुनिक उपकरणों, दवाओं की उपलब्धता, रिक्तियां तथा स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता प्रदान करने बारे" यह सदन विचार करे।"

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया:-

1. श्री त्रिलोक जम्वाल, मा0 सदस्य

(2.26 बजे श्री संजय रत्न, सभापति महोदय पदासीन हुए।)

2. श्री सुरेश कुमार, मा0 सदस्य
3. श्री सुरेन्द्र शौरी, मा0 सदस्य
4. श्री मलेन्द्र राजन, मा0 सदस्य
5. श्री प्रकाश राणा, मा0 सदस्य
6. श्री विनोद सुल्तानपुरी, मा0 सदस्य

<u>पीठासीन अधिकारी द्वारा व्यवस्था</u>

"अगर अधिकारियों ने फोन सुनना है तो वे सदन से बाहर जाकर सुनें।"

7. श्री लोकेन्दर कुमार, मा0 सदस्य
8. श्री विवेक शर्मा, मा0 सदस्य
9. श्री डी0एस0 ठाकुर, मा0 सदस्य
10. श्री सुदर्शन सिंह बबलू, मा0 सदस्य

माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने माननीय सदस्य द्वारा चर्चा में भाग लेते हुए विपक्ष पर की गई एक गम्भीर टिप्पणी पर आपत्ति व्यक्त करते हुए सभापति महोदय से उसे एक्सपंज करने का आग्रह किया तथा पहली

बार निर्वाचित माननीय सदस्य को बोलने से पहले उचित शब्दों के चयन की नसीहत दी।

इस पर **माननीय मुख्य मंत्री** ने कहा कि माननीय सदस्य ने तथ्यों पर आधारित बातें की हैं जोकि आज़ादी के इतिहास से संबंधित है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष द्वारा माननीय सदस्य के प्रति की गई व्यक्तिगत टिप्पणी को भी एक्सपंज करने का सभापति महोदय से आग्रह किया।

11. श्री इन्द्र सिंह, मा0 सदस्य

(4.55 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

(5.00 बजे अपराह्न मान्य सदन की कार्यवाही सायं 6.00 बजे तक बढ़ाई गई।)

12. श्री दलीप ठाकुर, मा0 सदस्य

माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने हिमकेयर योजना और सहारा योजना के संबंध में अपने उद्‌गार व्यक्त करते हुए कहा कि एक योजनाबद्ध तरीके से हिमकेयर योजना को बदनाम करके अपाहिज किया जा रहा है ताकि इसे बंद किया जा सके जबकि इस योजना के तहत गरीब लोगों का इलाज हो रहा है। इसी तरह से सहारा योजना को भी बंद करने का प्रयास किया जा रहा है जिसके माध्यम से बेबस लोगों को इलाज करवाने में मदद मिलती है। सरकार इन योजनाओं को बंद करने की दिशा में आगे बढ़कर गरीब लोगों का भला नहीं कर रही है और न ही स्वयं इनका भला होगा। यदि वर्तमान सरकार ने इन दोनों योजनाओं को बंद किया तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी पहली कैबिनेट बैठक में इन दोनों योजनाओं को पुन: उसी रूप में शुरू करेगी जिस भाव के साथ इनको आरम्भ किया गया था। यह ऐलान वे अपने दल की ओर से करना चाहते हैं।

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने नियम-130 के अंतर्गत लाए गए विषय पर चर्चा के दौरान समस्त माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए बिन्दुओं का विस्तारपूर्वक उत्तर दिया।

5.46 बजे अपराह्न सदन की बैठक वीरवार, दिनांक 27 अगस्त, 2026 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।

*****